बदायूँ पुलिस
सराहनीय कार्य

TAKING A BITE OUT OF CRIME 24/7

दिनाँक: 22, सितंबर, 2025 **CRACKDOWN BUDAUN** **थाना: सहसवान**

थाना सहसवान क्षेत्रांतर्गत गोकशी के वाँछित 25000/- रू0 का इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तंमचा 315 बोर जिसकी नाल में 01 खोखा कारतूस फंसा हुआ, 03 अदद जिंदा कारतूस बरामद।

थाना सहसवान क्षेत्रान्तर्गत दिनाँक 13.09.2025 को गोवंशीय पशुओं के अवशेष कुँए मिले थे, जिसके सम्बन्ध में थाना सहसवान पर मु0अ0सं0 381/25 धारा 3/5/8 CS ACT तथा 14.09.2025 को गुलजार के खेत में मिले गोवंशीय पशुओं के अवशेष के सम्बन्ध में थाना सहसवान पर मु0अ0सं0 384/25 धारा 3/5/8 CS ACT के *वाँछित 25000/- रू0 के इनामिया अभियुक्त शकील अहमद उर्फ बड्डे पुत्र अकील अहमद निवासी मौहल्ला नई बस्ती शहबाजपुर थाना सहसवान जनपद बदायूँ* की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर सिंह मय फोर्स के देख रेख शान्ति व्यवस्था व रोक थाम जुर्म जरायम में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना दी गयी कि थाना सहसवान के गोकशी के वाँछित अभियुक्त शकील अहमद उर्फ बड्डे पुत्र अकील अहमद निवासी मौहल्ला नई बस्ती थाना सहसवान जनपद बदायूँ ग्राम भीकमपुर अपनी रिस्तेदारी में जाने के लिये कछला वाले रास्ते पर पैदल-पैदल जा रहा है जल्दी की जाये तो पकड सकते है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सहसवान द्वारा मय टीम के मौके पर पहुँचकर घेराबंदी की गयी तो एक व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखाई दिया जिसको रूकने के लिए कहा तो घिरा पाकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जो आरक्षी 827 आलोक कुमार के बायें हाथ में लगा जो घायल हो गया। इस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया जो उस व्यक्ति के दाहिने पैर में लगा, और वह लड़खड़ाकर वहीं गिर गया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर जामातलाशी लेते हुए घायल व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम शकील अहमद उर्फ बडडे पुत्र अकील अहमद निवासी मौहल्ला नई बस्ती शहबाजपुर थाना सहसवान जनपद बदायूँ बताया गया कि साहब हमारे खिलाफ गौकशी का मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें मेरे कुछ साथी पकडे जा चुके है। मुझे यह भी पता लगा है कि मेरे ऊपर ईनाम है और मैं अपने आप को छिपा रहा था, और आज अपनी रिस्तेदारी भीकमपुर जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड लिया। जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त शकील अहमद उर्फ बड्डे के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में एक खोखा कार0 फसा हुआ, पहने पेन्ट की दाहिनी जेब से 03 अदद जिन्दा कार0 बरामद हुए। जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घायल आरक्षी एवं अभियुक्त को जिला अस्पताल बदायूँ उपचार हेतु रवाना किया गया है।

विवरण पूछताछ -- अभियुक्त शकील अहमद उर्फ बड्डे पुत्र अकील अहमद निवासी मौहल्ला नई बस्ती थाना सहसवान जनपद बदायूँ ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं तथा मेरे साथी मौहम्मद शमशेर उर्फ समशीर पुत्र नन्हें खान, आमिर पुत्र रहीश निवासीगण मौहल्ला नई बस्ती शहबाजपुर थाना सहसवान जनपद बदायूँ व बहारे आलम पुत्र रईस अहमद निवासी मौहल्ला कटरा शहबाजपुर थाना सहसवान जनपद बदायूँ के साथ स्थान बदल बदल कर द्वारा गोवंशीय पशुओ का वध करते है, हम लोगो को ओमेन्द्र पुत्र पान सिंह व बाबू पुत्र रामबहादुर उर्फ कर्रू निवासीगण ग्राम कैशो की मढैय्या थाना सहसवान जनपद बदायूँ आवारा गोवशींय पशु उपलब्ध कराते है, तो हम लोग आनन्दीपुर के जंगल में कुँए के पास गोवशींय पशु का वध करते है, और ओमेन्द्र व बाबू हम लोगो की गोवंशीय पशु का वध करने के समय निगरानी भी करते है, उसके बाद हम लोगो के साथ जाकर अपने आप को छिपते छिपाते हुए मास की बिक्री करते है, और बिक्री का जो रूपया आता है, हम लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेते है, तथा हम लोगो को मनोज पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली थाना सहसवान जनपद बदायूँ आवारा गोवंशीय पशु उपलब्ध कराता है, तो हम लोग़ ग्राम जुनैदपुर के जंगल में गोवंशीय पशु का वध करते है। मनोज भी हम लोगो के साथ रहकर हम लोगो की निगरानी करता है, उसके बाद उसी प्रकार हमारे साथ मास की बिक्री करते है। जो रूपये मिलते है, बराबर आपस में बांट लेते है। आपके द्वारा मेरे साथी बहारे आलम व मौहम्मद शमशेर उर्फ समशीर व मनोज व ओमेन्द्र को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। मैं भी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये इधर ऊधर छिप रहा था। कि आप लोगो ने आज मुझे पकड लिया।

विवरण गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण--

1. शकील अहमद उर्फ बड्डे पुत्र अकील अहमद निवासी मौहल्ला नई बस्ती थाना सहसवान बदायूँ

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त शकील अहमद उर्फ बड्डे पुत्र अकील अहमद निवासी मौहल्ला नई बस्ती थाना सहसवान बदायूँ

1. मु0अ0सं0 251/24 धारा 3/25(1-B)(a) A ACT थाना सहसवान
2. मु0अ0सं0 381/25 धारा 3/5/8 CS ACT थाना सहसवान
3. मु0अ0सं0 384/25 धारा 3/5/8 CS ACT थाना सहसवान

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1. अभियुक्त शकील अहमद उर्फ बड्डे उपरोक्त के कब्जे से मुठभेड में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में फंसा हुआ एक खोखा कारतूस व पहने पैन्ट की दाहिने जेब से 03 अदद जिंदा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह थाना सहसवान मय टीम

गिरफ्तारी/बरामदगी में सहयोग करने वाली टीम...

निरीक्षक श्री माधव सिंह बिष्ट प्रभारी SOG

उ0नि0 श्री राजेश कौशिक मय टीम...

उ0नि0 श्री धर्वेंद्र सिंह, प्रभारी सर्विलांस मय टीम

सोशल मीडिया सेल, बदायूँ।